रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082025-265507 CG-DL-E-19082025-265507

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3671] No. 3671]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 14, 2025/श्रावण 23, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 14, 2025/SHRAVANA 23, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अगस्त, 2025

का.आ. 3771(अ).—केंद्र सरकार, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा **डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन** को डॉ. जॉर्ज डिसूजा, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में नामित करती है, और उस प्रयोजन से दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ. 1828(अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई.IV में निम्नलिखित संशोधन करती है -:

उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्या 9 और उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

9. डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन

एम्स रायपुर के संस्थान निकाय के सदस्य के रूप में **डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन** का कार्यकाल अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित प्रावधानों द्वारा शासित होगा।

[फा. सं. जेड-28016/45/2024-पीएमएसएसवाई-IV(8294182)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

5476 GI/2025 (1)

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3771(E).—In exercise of powers conferred by Section 4 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956) as amended by All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Budhendra Kumar Jain** to be member of Institute Body of All India Institute of Medical Sciences, **Raipur** in place of Dr. George D' Souza and for that purpose makes the following amendment in the Notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/177/2019-PMSSY.IV dated the 18th May, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1828(E) dated the 10th June, 2020:

In the said Notification, against serial number 9 and the entry relating thereto, the following to be substituted, namely:-

9. Dr. Budhendra Kumar Jain

The term of **Dr. Budhendra Kumar Jain** as member of the Institute Body of AIIMS Raipur shall be governed by the provisions contained in Section 6 of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956.

[F. No. Z-28016/45/2024-PMSSY-IV(8294182)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली. 14 अगस्त. 2025

का.आ. 3772(अ).—केंद्र सरकार, दिनांक 10 जून, 2020 के का.आ. 1829(अ.) के द्वारा भारत के राजपत्र भाग II, खंड-3, उपखण्ड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिनांक 18 मई, 2020 की अधिसूचना सं. जेड-28016/177/2019-पीएमएसएसवाई.IV के अधिक्रमण में तथा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का 37) द्वारा यथा संशोधित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 (1956 का 25) की धारा 7(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा डॉ. बुधेंद्र कुमार जैन को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, रायपुर का अध्यक्ष नामित करती है।

[फा. सं. जेड-28016/45/2024-पीएमएसएसवाई-IV(8294182)]

अंकिता मिश्रा बुंदेला, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th August, 2025

S.O. 3772(E).—In supersession of Notification of Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Number Z-28016/177/2019-PMSSY.IV dated the 18th May, 2020 published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide S.O. 1829(E) dated the 10th June, 2020 and in exercise of the power conferred by section 7(1) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956 (25 of 1956), as amended by the All India Institute of Medical Sciences (Amendment) Act, 2012 (37 of 2012), the Central Government hereby nominates **Dr. Budhendra Kumar Jain** as the President of All India Institute of Medical Sciences, **Raipur**.

[F. No. Z-28016/45/2024-PMSSY-IV(8294182)]

ANKITA MISHRA BUNDELA, Jt. Secy.